## भारत का उच्चतम न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारान्तर्गत

## आपराधिक अपील कं. 408/2020 विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) कं. 10145/2019 से उद्भूत

जितेन्द्र		अपीलार्थी
	विरूद्ध	
मध्यप्रदेश शासन व अन्य		अपीलार्थी
	ः <u>न्याय — निर्णय</u> ः	

## अनुमति स्वीकृत ।

- 2. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा तृतीय जमानत आवेदन अग्राह्य किये जाने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय का आव्हान किया गया है। अपीलार्थी अपराध क. 210/2012, पुलिस थाना छत्रीपुरा, इंदौर अपराध अंतर्गत धारा 420, 177, 181, 193, 200 व 120—बी भारतीय दण्ड संहिता (भा.द.स.) के संदर्भ में दिनांक 05 जनवरी 2019 से अभिरक्षा में है।
- 3. संक्षिप्ततः तथ्य इस प्रकार है :
- 4. अपीलार्थी की धर्मपत्नी द्वारा उसके विरूद्ध एक प्रकरण अपराध क. 96/2008 अन्तर्गत धारा 498—ए 323 व 506 भा.द.स. पंजीबद्ध करवाया गया जिसके तारतम्य में उसे गिरफ्तार किया गया। पश्चात्, उसके द्वारा रूपये 7000/— का जमानत पत्र प्रस्तुत करने पर उसे अभिमुक्ति प्रदान की गई जिसमें उसकी माता द्वारा व्यक्तिगत बंध के रूप में उनकी रिहायशी संपत्ति के प्रपत्र संलग्न किऐ गऐ थे। पश्चानुक्रम में वैवाहिक विवाद सौहार्द पूर्वक सुलझा लिये गऐ परिणामस्वरूप अपीलार्थी को 23 अप्रैल 2010 को उन्मुक्ति प्रदान की गई।
- 5. 20 मई 2012, श्री दिलीप बोरड़े (अपीलार्थी के रिश्तेदार भाई) एवं उसके पुत्र श्री विशाल बोरड़े द्वारा इस हेतुक एक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया कि अपीलार्थी की अभिमुक्ति हेतू प्रस्तुत किऐ गऐ रिहायिशी संपत्ति संबंधी दस्तावेज कूटरचित हैं। उपरोक्त आधार पर अपराध क.

210 / 2012 पंजीबद्ध किया गया एवं अपीलार्थी को एक वर्ष से अधिक अवधी तक निरूद्ध रखा गया।

- अभिलेख के अवलोकन से हम यह अंकित करते हैं कि पुलिस द्वारा 24 मई 2013 को अपराध क. 210 / 2012 के संदर्भ में एक खात्मा प्रतिवेदन (closure report) प्रस्तृत किया परंतु विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा पांच वर्ष पश्चात् पुर्नविवेचना के आदेश 20 जून 2018 को दिऐ गऐ। फलस्वरूप, अपीलार्थी को 05 जनवरी 2019 को गिरफतार किया गया तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्व ारा भी आदेश दिनांक 22 जनवरी 2019 के माध्यम से जमानत पर अभिमुक्ति प्रदान करना अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया जिसे दिनांक 10 अप्रैल 2012 को प्रत्याहृत (withdraw) किये जाने के परिणामस्वरूप इस अनुमति के साथ खारिज किया गया कि वह तात्विक साक्षियों के परिक्षणोंपरांत पुनः आवेदन कर सकने हेतू स्वतंत्र होगा। मध्यांतर में पुलिस द्वारा प्रकरण को पुर्नविवेचित किया गया व द्वितीय रिपोर्ट दिनांक 02 सितम्बर 2019 इस उल्लेख के साथ प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है व अपीलार्थी उन्मोचन योग्य है। उक्त खात्मा रिपोर्ट के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा तृतीयतः उच्च न्यायालय का आव्हान किया गया परंतु जमानत आवेदन इन आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया कि द्वितीय खात्मा रिपोर्ट को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है व अपीलार्थी यह सिद्ध कर पाने में असफल रहा है कि तात्विक साक्षियों की संपरीक्षा हो गई है अथवा नहीं। अन्ततः अपीलार्थी के समक्ष इस न्यायालय के आव्हान के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं रहा। अपीलार्थी को अन्तरिम जमानत पर छोड़े जाने संबंधी आदेश इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2019 को सूचना पत्र जारी करते समय दिये गये थे।
- 7. परिवादी के अधिवक्ता एवं पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकों को सुनने के पश्चात् हम मंतव्य रखते हैं कि अपीलार्थी जमानत पर मुक्त किऐ जाने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह ध्यान में रखा जाना चाहिऐ कि 'जमानत' एक नियम है जबिक 'जेल' अपवाद। ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि यंत्रवत् रूप से जमानत न दी जाय या खारिज कर दी जाय क्योंकि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबद्ध है। इस प्रकरण की विशेष परिस्थितियों में जहां खात्मा रिपोर्ट दो बार प्रस्तुत की गई है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर जमानत आवेदन खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा रिपोर्ट को तत्समय

तक स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा साक्षियों की संपरीक्षा, खात्मा रिपोर्ट के भविष्य पर भी निर्भर करेगी। अपीलार्थी पर अधिरोपित आरोपों की प्रकृति एवं उसके द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई अविध पर विचारोपरांत हम इस बात से संतुष्ट है कि अपीलार्थी तुरंत जमानत पर अभिमुक्त किऐ जाने योग्य है।

8. अतः माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2019 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाती है। अंतरिम जमानत प्रदाय किऐ जाने संबंधी आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2019 को आत्यंतिक आदेश घोषित किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय की तुष्टी हेतू पूर्व से ही प्रस्तुत जमानत बंधपत्रों के अधीन रहते हुए अपीलार्थी को नियमित जमानत पर अभिमुक्ति प्रदान की जाती है।

(एस. ए. बोबड़े) भारत के मुख्य न्यायाधिपति
न्यायाधीश (बी. आर. गवई)
न्यायाधीश (सूर्यकान्त)

नई दिल्ली

दिनांक : 18.03.2020

**Disclaimer:** The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

प्रत्याख्यान:— स्थानीय भाषा में अनुवादित न्यायनिर्णय मात्र पक्षकारों को उनकी भाषा में समझने पर्यन्त ही सीमित है एवं किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोगार्थ नहीं है। सभी व्यावहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु, न्यायनिर्णय के आंग्लभाषा संस्करण को ही प्रामाणिक माना जावेगा तथा निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी माना जावेगा।